(b) *if so, what are the details therefor?*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) and (b) During the last few years various measures have been taken to expand India's exports to the USA. These include export promotion programmes such as participation in trade fairs and exhibitions organisation of such events as Department Stores promotion, buyer-seller meets, direct mail campaign, advertisements in trade journals and editorial coverage in specialized magazines. Steps have also been taken for alleviating the adverse effects of countervailing duty and anti-dumping proceedings and of health and sanitary restrictions. The bilateral quota for export of textiles and clothing has also been increased.

Non-oil exports have gone up from Rs. 1765.83 crores in 1984-85 to Rs. 2357.26 crores in 1986-87. During the same period imports grew from Rs. 1700.59 crores to Rs. 1963.01 crores. The trend of increase is likely to be maintained.

846. [*Transferred to the 11th March, 1988.*]

सीमा पार से घुसपैठ

847. **श्री रशीद मसूद :**
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि देश में सीमा पार से भारी संख्या में लोगों की घुसपैठ जारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि विदेशी नागरिक जोकि भारत में अवैध रूप से घुस आये हैं, दिल्ली तक में प्रवेश कर गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में कितने विदेशी नागरिक अवैध रूप से घुसे हैं और सरकार द्वारा उनका पता लगाया जा चुका है तथा उन पर की गई कार्रवाही का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) : विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारणों से भारत में बंगलादेश और पाकिस्तान से घुसपैठ होती है। यद्यपि सीमाओं पर से हो रही कुछ घुसपैठ की सरकार को जानकारी है, फिर भी सरकार को सीमा पार से भारी संख्या में घुसपैठ किये जाने और भारी संख्या में विदेशी नागरिकों के अवैध रूप से भारत में प्रवेश करके दिल्ली तक आ जाने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ग) सीमावर्ती राज्यों के संबंध में सीमा पर पकड़े गए, वापस भेजे गए और आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य पुलिस को सौंपे गये व्यक्तियों के बारे में वर्ष 1987 के लिये सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। (**नीचे देखिये**) जहां तक कुछ ऐसे व्यक्तियों का संबंध है जो सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से बचकर निकल जाते हैं और चोरी छिपे देश में प्रवेश करके एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमते हैं, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उनके क्षेत्रों में पकड़े गये, बंगलादेश के नागरिकों को उनके बैच बनाकर महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल कलकत्ता के पास भेजने के अनुदेश पहले ही दिए जा चुके हैं ताकि उन्हें बंगलादेश वापस खदेड़ा जा सके। भारत सरकार गृह मंत्रालय से भी राज्य सरकारों को बार-बार अनुदेश जारी किये जाते है जिनमें उनसे अवैध बंगलादेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उनको वापस बंगलादेश भेजने के लिये विशेष अभियान चलाने का अनुरोध किया जाता है।

विवरण

वर्ष	सीमावर्ती राज्य	सीमा पर पकड़े गये	वापस भेजे गए	राज्य पुलिस को सौंप गये
1987	1. जम्मू तथा कश्मीर	67	3	64
	2. पंजाब	2418	2004	414
	3. राजस्थान	1434	1098	336
	4. गुजरात	20	2	18
	5. आसाम	177	118	59
	6. मेघालय	98	58	40
	7. त्रिपुरा	3104	2742	362
	8. पश्चिमी बंगाल	25104	24123	981
	9. मिजोरम	28	—	28

जल मार्गों का विकास

848 **श्री रशीद मसूद :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जलमार्गों के कार्यान्वयन हेतु अनेक योजनाएं वीकृति हेतु सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय जल-मार्गों से भिन्न अन्य जलमार्गों के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होती है । तथापि, केन्द्र सरकार, कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों के लिए, जो केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में शामिल की गई है, राज्य सरकारों को ऋण सहायता दे रही है । सातवीं योजना में शामिल 12 केन्द्र प्रायोजित स्कीमों मे से सात स्कीमें संस्वीकृत की गई है । आन्ध्र प्रदेश की चार स्कीमों की जांच की गई है तथा राज्य सरकार को उन सबको एक व्यापक स्कीम में समेकित करने हेतु अनुरोध किया गया है । उत्तर प्रदेश की एक स्कीम स्पष्टीकरण हेतु राज्य सरकार को भेजी गई है । राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास संबंधी योजना में शामिल सभी स्कीमें संस्वीकृत की जा चुकी है तथा आधुनिकीकरण हेतु एक स्कीम पर अनुमोदन के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

Inclusion of CCA for the purpose of computing income-tax

849. Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the recent judgement of the Calcutta High Court given on July 24, 1987 wherein it has been held that the amount paid as City Compensatory Allowance should not be included in the total income of the assessee for the purpose of computing income-tax;

(b) if so, whether Government have issued necessary orders in this behalf to the income-tax authroities; and

(c) if the answer to part (b) above be in the negative what are the reasons therefor and by when necessary orders are likely to be issued?